

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग

कमांक: प.2(157)कार्मिक/क-3/शि./97

जयपुर, दिनांक 24.3.2007

परिपत्र

विषय:- अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निस्तारित किये जाने के संबंध में।


राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/पुलिस/सीबीआई इत्यादि संस्थाओं द्वारा अपचारी राजसेवकों के संदर्भ में अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव लम्बे समय तक सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित रहते हैं। राज्य सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति संबंधी प्रकरणों का निस्तारण समय पर नहीं होने की स्थिति को अति गम्भीरता से लिया गया है, अतः इस संदर्भ में ये निर्देश दिये जाते हैं कि:-

1. सक्षम प्राधिकारी को अभियोजन स्वीकृति के परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने के दिवस से अधिकतम 4 माह की अवधि में अभियोजन स्वीकृति प्रसारण के बिन्दू पर निर्णय लेकर प्रकरण निस्तारित करना होगा।
2. यदि उक्त अवधि में अभियोजन स्वीकृति संबंधी प्रकरणों को निस्तारित नहीं किया जायेगा तो संबंधित अधिकारी के बारे में यह अवधारणा होगी कि वे पदीय कर्त्तव्यों के अनुपालन में उदासीनता बरतते हुये दुराचरण कर रहे हैं।
3. यदि उक्त 4 माह की अवधि में अभियोजन स्वीकृति संबंधी प्रकरण का निस्तारण नहीं करने की अवस्था में संबंधित सक्षम अधिकारी प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग को विलम्ब के कारणों सहित स्पष्टीकरण संबंधित अनुसंधान संस्था के विभागाध्यक्ष को सूचना देते हुये प्रस्तुत करेंगे। यदि संबंधित अनुसंधान संस्था के विभागाध्यक्ष और गृह सचिव सक्षम प्राधिकारी के ऐसे स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है तो वे अभियोजन स्वीकृति प्रकरण का उक्त अवधि में निस्तारण नहीं करने वाले प्राधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव सीधे ही कार्मिक विभाग को प्रस्तुत कर सकते हैं।
4. अभियोजन स्वीकृति के जो प्रकरण विगत अनेक वर्षों से लम्बित हैं, उनके निस्तारण हेतु इस परिपत्र प्रसारण दिवस से निम्न प्रकार समयावधि निर्धारित की जाती है:-

लम्बित प्रकरण	निस्तारण अवधि
दिनांक 31.12.2004 तक के लम्बित प्रकरण	2 माह
दिनांक 1.1.2005 से 31.12.2006 तक के लम्बित प्रकरण	अगले 2 माह

5. इस प्रकार दिनांक 31.12.2006 की स्थिति में लम्बित अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों का निस्तारण के शतप्रतिशत परिणाम प्राप्त किये जाने हैं।

अतः सभी संबंधितों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त दिशा-निर्देशों का कठोरतापूर्वक अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें और प्रकरणों की निस्तारण प्रगति रिपोर्ट पाक्षिक रूप से कार्मिक विभाग को प्रेषित करें।


(मुकेश शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राज. जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मा. मंत्रीगण, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज. जयपुर।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/सचिव।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्तगण।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (मय जिला कलक्टर्स)
8. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर।
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राज. जयपुर।
10. प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।


उप विधि परामर्शी